



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-222703:



क्रमांक एफ 61(272) SSAAT/दिशा-निर्देश/2023-24/14 57

दिनांक 26/6/2023

जिला कलेक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक
समस्त।

विषय:- सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने बाबत जारी दिशा - निर्देश।

महोदय,


महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 की धारा-17, धारा 23(3) एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीमों की लेखा परीक्षा नियम, 2011 के अनुसार राज्य की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के प्रावधानों, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के संचालन में पूर्ण पारदर्शिता एवं जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत करवाये गए/ करवाए जा रहे लेखों का छः माह में कम से कम एक बार सामाजिक अंकेक्षण करने का प्रावधान है।

सामाजिक अंकेक्षण उपरान्त जारी सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदनों पर कार्यवाही किये जाने बाबत निम्नानुसार दिशा -निर्देश जारी किये जा रहे हैं:-

1. कार्यकारी एजेन्सी, लाइन विभाग एवं भुगतान एजेन्सी (ग्राम पंचायत, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, बैंक, डाकघर, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक आदि) के कार्मिक सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे एवं अंकेक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों एवं आपत्तियों तथा ग्राम सभा के निर्णयों के क्रम में 30 दिन में सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective Action) प्रारम्भ करेंगे।
2. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जो महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के प्रावधानों के विरुद्ध हैं तो ऐसे निष्कर्षों को आपत्ति निवारण (Grievance Redressal) के अन्तर्गत स्वतः शिकायत के रूप में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह Grievance Redressal के अन्तर्गत स्वतः शिकायत के रूप में दर्ज की गई शिकायतों को सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा ग्राम सभा में पढा जाएगा।
3. सामाजिक अंकेक्षण निष्कर्षों, विवादों एवं आक्षेपों पर 7 दिवस में जाँच, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा करवाई जाएगी।
4. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट की अनुपालना (Action Taken Report/Compliance) एक माह की अवधि में प्रस्तुत की जाएगी।
5. निदेशालय, सामाजिक अंकेक्षण द्वारा सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट सात दिवस में नरेगा वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएगी।
6. जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण के प्रत्येक निष्कर्ष (गबन, फर्जी भुगतान, अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताओं) के सम्बन्ध में सम्बन्धित कार्मिक / लोकसेवक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार राशि वसूली, अनुशासनात्मक कार्यवाही पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराना, भारतीय दण्ड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी.एक्ट) एवं अन्य प्रचलित कानूनों के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे।
7. यदि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के प्राथमिक लाभार्थियों, जनता अथवा ग्रामवासियों ने एतराज उठाए हैं और सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन या भ्रष्टाचार होना प्रमाणित हुआ है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा इन्हे राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए तकनीकी एवं लेखाकर्मी को सम्मिलित कर जाँच दल का गठन किया जाएगा एवं कार्यस्थल पर भेजकर विस्तृत जाँच करवाई जाएगी।
8. सामाजिक अंकेक्षण कार्य बाधित करने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई है।
9. जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।
10. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर गबन की गई राशि या अनुचित उपयोग की गई रकम की वसूली के लिए सभी उपाय करेंगे तथा अंकेक्षण रिपोर्ट में गबन एवं अनुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी माने गए कार्मिकों/ लोकसेवकों को सुनवाई का उचित एवं युक्तियुक्त अवसर देकर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करेंगे और इस प्रकार वसूल की गई राशि के लिए रसीद जारी करेंगे।
11. जिला कार्यक्रम समन्वयक सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के दौरान वसूल की गई राशि के लिए पृथक पंजिका का संधारण करेंगे।



12. मजदूरी के दुर्विनियोग पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ऐसी राशि की वसूली के सात दिनों के भीतर नरेगा मजदूर को उसकी देय मजदूरी का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।
13. राज्य सरकार सामाजिक अंकेक्षण के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई (Follow-up Action) के उत्तरदायी है।
14. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् द्वारा की गई कार्रवाई को मॉनीटर करेगी।
15. सामाजिक अंकेक्षण के दौरान प्राप्त शिकायतों के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक शिकायतों का निपटारा करेंगे। सभी शिकायतों पर अधिनियम में तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
16. शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ग्राम सभा और सामाजिक अंकेक्षण समिति द्वारा शिकायतों की सार्वजनिक सुनवाई का भी इंतजाग किया जाएगा।
17. राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत संचालित कार्यों के लिए किसी भी ग्राम पंचायत, लाइन विभाग एवं अन्य क्रियान्वयन अभिकरण की कमी की भी विशेष जांच कराई जा सकती है (राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 100)।
18. सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में निष्कर्षों के आधार पर जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा अनियमितताओं के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी/लोकसेवको का उनको सुनवाई का उचित एवं युक्तियुक्त अवसर देकर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा द्वारा इन्हे राज्य सरकार के ध्यान में लाते हुए हुए तकनीकी एवं लेखाकर्मों को सम्मिलित कर जाँच दल का गठन किया जाएगा एवं कार्यस्थल पर भेजकर विस्तृत जाँच करवाई जाएगी।



 (संदीप चौहान) 26/6
 निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
 एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

कमांक एफ 61(272) SSAAT/दिशा-निर्देश/2023-24/ 1458-6)

दिनांक 26/6/2023

- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -
1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी समस्त।
 2. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी समस्त।
 3. लेखाधिकारी सामाजिक अंकेक्षण।
 4. रक्षित पत्रावली।


 (दुर्गा प्रसाद दायमा)
 उपनिदेशक (SSAAT)

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
 एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)